विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम बुद्धवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
1(क)	क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम अन्तर्गत सी० ब्लॉक सेक्टर-10 में ट्यूबवेल नम्बर-10 भवन संख्या 10/4004 के सम्मुख स्थित पार्क के चारों ओर शाम 6:00 बजे से प्रतः 10 बजे तक आवासीय परिसर में दर्जनों ट्रक सं० UP A 32 CZ 4997, UP 32 DN 5907, UP 41 T 7723, UP 75 M7867, UP 42 T 3396, UP 42 BT6667, UP 32 Z2215, UP 78 AT 7440, UP 53 DT 7756, UP 34 AT 8149 खड़े किये जा रहे है जिससे आवागमन बाधित रहता है तथा स्थानीय नागरिकों को भारी कठिनाई हो रही है तथा पार्क की बाउण्ड्री वाल भी क्षतिग्रस्त कर दी गयी है?	सम्भागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-89/आरटीओ / वि०स०प्र०/ 2025 दिनांक 13.02.2025 के माध्यम से यात्री/ मालकर अधिकारी से प्रकरण की जांच करायी गयी। यात्री/ मालकर अधिकारी द्वारा आवास विकास कालोनी, राजाजीपुरम् लखनऊ के अन्तर्गत सी-ब्लाक सेक्टर-10 व 13 के मध्य ट्यूबवेल के आस-पास स्थित प्रश्नगत स्थान पर जाकर निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि भारत सरकार व राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजनाओं हेतु भारतीय खाद्य निगम का एक मात्र भण्डारण गृह उक्त स्थल पर स्थित है, जहां से प्रतिदिन 74 भारी वाहनों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोग हेतु अनाज के लदाई-उतराई का कार्य होता है। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थान पर 03 व्यावसायिक वाहन (वाहन संख्या-यूपी-32-डीएन-5907, यूपी-42-टी-3396, यूपी-42-बीटी-6667) खड़े पाये गये, जिनमें फूड कार्पोरेशन ऑफ इडिया का खाद्यान्न लोड था तथा जिसे पुलिस द्वारा नो एंट्री में खाद्यान्न पहुंचाने की अनुमति प्राप्त थी। जाँच के दौरान यातायात प्रवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी तथा पार्क की बाउण्ड्री वाल भी क्षतिग्रस्त नहीं पायी गयी।
(ख)	यदि हॉ, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है?	प्रश्न नहीं उठता है।

(ग)	आवासीय परिसर पार्क के चारों ओर खड़े किये जा रहे वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा "नो पार्किग" जोन घोषित करते हुए 04 बोर्ड नो पार्किग विगत 04 माह पूर्व लगवाये गये थे?	परिवहन विभाग द्वारा आवासीय परिसर पार्क के चारो ओर न तो नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है और न ही नो पार्किंग जोन के बोर्ड लगाये गये हैं।
(घ)	यदि हॉ, तो क्या दबंग ट्रक संचालकों एवं ड्राइवरों द्वारा उक्त चारो बोर्ड उखाड़ कर गायब कर दिये गये है तथा जबरदस्ती वाहन खड़े किये जा रहे है?	प्रश्न नहीं उठता है।
(ड.)	यदि हॉ, तो क्या अवैध रूप से खड़े किये जा रहे ट्रक के संचालकों/ ड्राइवरों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए पुनः बोर्ड लगवाने तथा भविष्य में ट्रक न खड़े हो कठोर कार्यवाही कराते हुए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी का उत्दायित्व निर्धारित करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग।